भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग)

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 430

(दिनांक 22.07.2021 को उत्तर देने के लिए)

संराशीकृत पेंशन की गणना

430. श्री नीरज डांगी:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्मचारियों के लिए संराशीकृत पेंशन की वसूली अवधि तय करते समय केंद्र सरकार के कर्मचारियों हेतु संराशीकृत पेंशन की गणना करने का फार्मूला क्या है;

(ख) जब कर्मचारियों की संराशीकृत पेंशन के लिए वसूली अवधि 14 वर्ष निर्धारित की गई थी, तब सावधि जमा के लिए ब्याज दर क्या थी;

(ग) क्या वर्तमान परिदृश्य में यह वसूली अवधि उचित है जबकि सावधि जमा के लिए ब्याज दर केवल 5-6 प्रतिशत है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार संराशीकृत पेंशन की इस वसूली अवधि का संशोधन करने की इच्छुक है**,** यदि हाँ, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

<u>उत्तर</u>

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री एवं प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ जितेंद्र सिंह)

(क) से (घ): ऐसा पेंशनभोगी जो इस प्रकार के सरांशीकरण के लिए आवेदन करता है, को संदेय पेंशन के एकमुश्त संराशीकृत मूल्य की संगणना केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन संराशीकरण) नियमावली, 1981 में संलग्न मूल्यों की सारणी के अनुसार की जाती है। पेंशन के संराशीकृत मूल्य की संगणना के लिए, वर्तमान में लागू सारणी की प्रति अनुबंध में संलग्न है। पेंशन में कटौती के प्रभावी होने की तारीख से 15 वर्ष पूरे होने पर पेंशन की संराशीकृत राशि बहाल कर दी जाती है।

छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन में पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 2 सितंबर, 2008 के का.ज्ञा. सं.38/37/08-पी&पीडब्ल्यू(ए) द्वारा पेंशन के एकमुश्त संराशीकृत मूल्य की गणना के लिए मूल्यों की वर्तमान सारणी को केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन संराशीकरण) नियमावली, 1981 में सम्मिलित किया गया था। यह सारणी एलआईसी(94-96) अल्टिमेट टेबल्स(Ultimate Tables) पर आधारित है और ब्याज दर 8% है। उपरोक्त सारणी की सिफारिश करते हुए, छठे केंद्रीय वेतन आयोग ने संराशीकृत पेंशन की बहाली के लिए 15 वर्ष की अवधि में किसी बदलाव की सिफारिश नहीं की। सातवें केंद्रीय वेतन आयोग ने भी संराशीकृत पेंशन की बहाली के लिए उक्त अवधि में किसी बदलाव की सिफारिश नहीं की है।

माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 17.01.2019 के आदेश द्वारा रिट याचिका सं. 1222/2015 को खारिज कर दिया, जिसमें संराशीकृत पेंशन की बहाली की अवधि को घटाने की मांग की गई थी। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के विरुद्ध दायर एसएलपी(सी) सं. 8852/2019 को भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 15 अप्रैल, 2019 को खारिज कर दिया गया था।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान में, संराशीकृत पेंशन की बहाली की अवधि में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

*****

दिनांक 22.07.2021 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 430
के उत्तर के पैरा 1 में संदर्भित अनुबंध

एक रुपया प्रतिवर्ष की पेंशन के लिए संराशीकृत मूल्य

जन्म की अगली तारीख पर आयु	वर्ष-क्रय की संख्या के रूप में अभिव्यक्त संराशीकृत मूल्य	जन्म की अगली तारीख पर आयु	वर्ष-क्रय की संख्या के रूप में अभिव्यक्त संराशीकृत मूल्य	जन्म की अगली तारीख पर आयु	वर्ष-क्रय की संख्या के रूप में अभिव्यक्त संराशीकृत मूल्य
20	9.188	41	9.075	62	8.093
21	9.187	42	9.059	63	7.982
22	9.186	43	9.040	64	7.862
23	9.185	44	9.019	65	7.731
24	9.184	45	8.996	66	7.591
25	9.183	46	8.971	67	7.431
26	9.182	47	8.943	68	7.262
27	9.180	48	8.913	69	7.083
28	9.178	49	8.881	70	6.897
29	9.176	50	8.846	71	6.703
30	9.173	51	8.808	72	6.502
31	9.169	52	8.768	73	6.296
32	9.164	53	8.724	74	6.085
33	9.159	54	8.678	75	5.872
34	9.152	55	8.627	76	5.657
35	9.145	56	8.572	77	5.443
36	9.136	57	8.512	78	5.229
37	9.126	58	8.446	79	5.018
38	9.116	59	8.371	80	4.812
39	9.103	60	8.287	81	4.611
40	9.090	61	8.194		

[आधारित: एलआईसी(94-96) अल्टिमेट टेबल्स(Ultimate tables) और 8.00% ब्याज दर]